


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

निम्नांकित व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश में उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार संशोधन किये जाते हैं।

क्र. स.	कार्मिक का नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	मूल आदेश क्रमांक मय दिनांक	संशोधन जो जारी किया जाना है
1.	नाहिद खान राबाउमावि, वल्लभनगर कोटा	शिविरा/मा/संस्था-6/रावि/नाम परिवर्तन/2018/161 दिनांक-16.07.2020	नाम परिवर्तन आदेश में विद्यालय नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थान पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पढ़ा जावे।
2.	नाहिद खान राबाउमावि, वल्लभनगर कोटा	शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज. विज्ञान/सेवानिवृति/2019-20 दिनांक-03.02.2020	क्र.स. 115 कॉलम संख्या 2 में अंकित कार्मिक के नाम में NAHEED RAZA के स्थान पर NAHEED KHAN पढ़ा जावे।
3.	विजय सिंह मीणा राउमावि अलीपुर, झुंझुंनुं	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/एसीपी /2018-19/273 दिनांक-17.07.2020	क्र.स. 3 कॉलम संख्या 2 में अंकित कार्मिक के विद्यालय नाम में अलसीसर, चिड़ावा, झुंझुंनुं के स्थान पर अलीपुर, चिड़ावा, झुंझुंनुं पढ़ा जावे।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-मा/संस्था/सी-6/रावि/संशोधन/2019/369

दिनांक : 27/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य ग्राही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग .....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग.....
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य .....
6. संबंधित कार्मिक .....
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर